भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1293
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खगड़िया में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

1293. चौधरी महबूब अली कैसर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नाम सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद खगड़िया जिले में किसी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का उक्त जिले में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो उक्त जिले में चिकित्सा महाविद्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) संचालित करता है, जिसमें ऐसे अल्प -सेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण प्रणाली पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस स्कीम के तहत, सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही तीन चरणों में अनुमोदित किया गया है, जिसमें बिहार राज्य के 8 मेडिकल कॉलेज पूर्णिया, सारण (छपरा), समस्तीपुर, सीतामढी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर और जमुई शामिल हैं जिनमें से 03 मेडिकल कॉलेज आकांक्षी जिलों नामतः पूर्णिया, सीतामढी एवं जमुई में अनुमोदित किये गये हैं।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम के तहत बिहार सरकार को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना करके 06 सरकारी मेडिकल कॉलजों , मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर में एक-एक और पटना में दो मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान की गई है तथा पटना व दरभंगा में 02 एम्स को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

******